



KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18-संस्थागत क्षेत्र,
18, INSTITUTIONAL AREA
शहीद जीत सिंह मार्ग,
SHAHEED JEET SINGH MARG
नई दिल्ली-110 016
NEW DELHI-110016

फैक्स FAX: 26514179 फोन PHONE : 26858570

Website : www.kvsangathan.nic.in

दिनांक :- 20.03.2018

फा. सं. 11086/01/2012-केविसं(मुख्या.) (प्रशा.II)/ 366 - 411

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन के सभी सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के लिए सी. जी. एच. एस. सुविधाओं के विस्तार के संबंध में।

केविसं के दिनांक 29.09.2017 के उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव पर उपसचिव (यू टी) , मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 02.02.2018 के पत्र सं एफ. 3-5/2011-यूटी-2 एवं दिनांक 19.03.2018 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समसंख्यक पत्र द्वारा दिल्ली / राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले केविसं के सभी सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को सी. जी. एच. एस. की सुविधाएं विस्तार करने के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्णय की जानकारी प्रदान की गई है।

02. तदनुसार दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निवास करने वाले केविसं के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सी. जी. एच. एस. के अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जाता है।

इस संबंध में सभी निबंधन एवं शर्तें दिनांक 29.08.2015 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यथावत रहेंगी।

इस ज्ञापन के किसी भी शब्द के अर्थ में संशय की स्थिति में इस ज्ञापन का अंग्रेजी का पत्र मान्य होगा।

(यू. एन. खवाड़े)

अपर आयुक्त (शैक्षिक/प्रशासन)

वितरण :-

1. उपसचिव, यूटी, मा. सं. वि. मं, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को दिनांक फा. 3-5/2011-यूटी-2 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. अपर निदेशक (मुख्या.), सी. जी. एच. एस., सैक्टर-12, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, केविसं(मुख्या.), नई दिल्ली के निजी सचिव को सूचनार्थ।
4. अपर आयुक्त (प्रशा.), केविसं(मुख्या.), नई दिल्ली के निजी सचिव।
5. अपर आयुक्त (शैक्षिक), केविसं(मुख्या.), नई दिल्ली के निजी सचिव।
6. केविसं(मुख्या.), नई दिल्ली के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त, केविसं, समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ।
8. निदेशक, समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थान।
9. सहायक आयुक्त (विधि एवं समन्वय), केविसं(मुख्या.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे अगली सुनवाई की तिथि पर केविसं के वकील के माध्यम से माननीय अधिकरण को अवगत करवाएँ।
10. उपायुक्त (शैक्षिक/ईडीपी) केविसं(मुख्या.), नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इस पत्र को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करवाएँ।
11. महा सचिव, सभी केविसं स्टाफ एसोसिएशन (एआईकेविटीए/केविपीएसएस/केईवीआईएनएसटीए) को सूचनार्थ।



KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

18 संस्थान क्षेत्र, शाहीद जेत सिंह मार्ग,

नई दिल्ली 110 116

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg

New Delhi 110 116

Fax: 26514170 फोन TEL: 26858570

e-mail: kvssao@hub.nic.in

website: www.kvsangathan.nic.in

F. No. 11086/01/2012-KVS HQ (Admn.II)/75-85

Dated: 23.03.2018


OFFICE MEMORANDUM

Subject: Extension of CGHS facilities to all retired employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan residing in Delhi/NCR- regarding.

Consequent upon KVS's proposal on the subject vide letter dated 29.09.2017, the Deputy Secretary (UT), Ministry of Human Resource Development vide his letter No.F. 3-5/2011-UT-2 dated 02.02.2018 to be read with MHRD's letter of even number dated 19.03.2018 has conveyed the decision of Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi regarding extension of CGHS facilities to all retired employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) residing in Delhi/NCR.

2. Accordingly, medical facility under the CGHS is extended to all retired employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan residing in Delhi/NCR.

The terms and conditions mentioned in the Office Memorandum of even number dated 21.08.2015 will remain the same.


(U. N. KHAWARE)

ADDITIONAL COMMISSIONER (ACAD/ADMN.)

Distribution:-

1. Deputy Secretary, UT, Ministry of HRD, Shastri Bhawan, New Delhi for information w.r.t. his letter No. F. 3-5/2011-UT-2 dated 02.02.2018.
2. Additional Director (HQ), CGHS, Sec. 12, R.K. Puram, New Delhi.
3. PS to Commissioner, KVS HQ, New Delhi.
4. PS to Additional Commissioner (Admn.) KVS (HQ) New Delhi
5. PS to Additional Commissioner (Acad.) KVS (HQ) New Delhi
6. All Officers of KVS Headquarters, New Delhi for information.
7. Deputy Commissioner, KVS, All Regional Offices for information.
8. Director, all ZIETs.
9. Assistant Commissioner (L&C) KVS (HQ), New Delhi. He is requested to apprise the Hon'ble Tribunal through KVS counsel on the date of next hearing.
10. Deputy Commissioner (Acad./EDP), KVS (HQ), New Delhi with the directions to upload the same on the KVS website.
11. General Secretary, KVS Staff Association (AIKVTA/KVPSS/KEVINTSA) for information.

